Recommendation of DFO

1. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 1.608 हे0 वन परिक्षेत्र कर्थुआ का कक्ष क्रमांक PF 873 आरक्षित वन भूमि है एवं वन परिक्षेत्र चितरंगी का कक्ष क्र0 RF 14, 12, 07, 28, 35, 46 आरक्षित वन भूमि है एवं PF 22, 06 संरक्षित वनभूमि है।
2. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 1.608 हे0 वन संरक्षण अधिनियम 1980 (2) नियम 2003 के तहत महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित परियोजना ई0 सिंगरौली, ग्रामीण जल प्रदाय योजन अन्तर्गत वन भुमि पाईप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है।
3. पूर्व में प्रस्तावित वन भूमि के बदले पत्र कमांक/मा0चि0 /2022/279 रीवा दिनांक 12.09. 2022 से 6.50 हे0 गैर वन भूमि (राजस्व भूमि) की तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी थी। उक्त प्राप्त भूमि के बदले 3.15193 हे0 का प्रस्ताव प्रकरण कमांक 145025 प्रेषित किया गया है। शेष 3.34807 हे0 में रकवा 1.608 हे0 का कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा0चि0/191 दिनांक 11.01. 2022 से वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का समायोजन किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा का लेख किया गया है।
4. वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि कक्ष क्रमांक RF 14, 12, 07, 28, 35, 46 एवं वन भूमि कक्ष क्र0 PF 22, 06 वन मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कोरीडोर मे संम्मिलित है।
5. वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कोरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है।

   (अ) 2.47 (9)– कोरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरंतरता में व्यावधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।

   (ब) 2.47(10)– कोरीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तानांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये।

6 कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1–18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। एवं अनाधिकृत अतिक्रमित क्षेत्र में पानी की पाईप लाईन बिछाने की अनुशंसा नही की जाती है।

(मधु व्ही0 राज)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली